तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/1070/2012/जयपुर सरकार बनाम संज्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :–
श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांक : 23–09–2024

आदेश

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटपूतली ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 31–01–2008 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, कोटपूतली ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली में विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1080 रकबा 0.54 बीघा जिसके साबिक खसरा नंबर 248, 250 वाकै मौजा दादूका तहसील कोटपूतली की आराजी राजकीय सिवायचक/भूमि है एवं भूमि की किस्म गै0मु0 नला है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला है, जो आवंटन/नियमन योग्य नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, तलाई, नदी, नाले जलाशयों की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार 15–08–1947 की स्थिति को यथावत रखा जाना है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन एवं इसके आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त कर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन नला अभिलिखित किया जावें।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल में प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो बावजूद सूचना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/1070/2012/जयपुर सरकार बनाम संज्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदियां, नली, नाले, झीलें और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है। उक्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–08–2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है, अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को पुनः गैर मुमकिन नला अभिलिखित किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को गैर मुमकिन नला भूमि का आवंटन किया गया है। विवादित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं होती है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं। किन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पक्ष में अनियमित रुप से किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सन् 1947 एवं इसके पश्चात् उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज थी। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् की गई समस्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 के परिप्रेक्ष्य में भी अविधिक है तथा ऐसी अविधिक कार्यवाही के विरूद्ध किसी प्रकार की मियाद बाधित नहीं है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 1070 / 2012 / जयपुर सरकार बनाम संज्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 1080 रकबा 0.54 बीघा भूमि बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गए समस्त इन्द्राज एवं नामांतरकरण आदि निरस्त किए जाकर उक्त आराजी को राजकीय खाते में पुनः गैर मुमकिन नला दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावें। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	